



Case No. 56/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
 (A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-3274/JH/2/2024-ESDW-RU-IV

श्री मनीष टोप्पो
 पुलिस अधीक्षक,
 जिला - खुंटी
 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कदमा
 खुंटी, झारखंड 835210
 Email Id: sp-khunti@jhpolicen.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 07/07/2025 को 11:00 A.M बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ:-

- संदर्भ 1
- (i) नाम-न पर साजिश के तहत दखलपता बदलकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन-कब्जा करने की कोशिश करने के सम्बन्ध में श्रीमति इन्दुमती भेंगरा, पति - श्री हेरमन भेंगरा, ग्राम - मैदान टोली (कदमा), थाना - खुंटी, जिला - खुंटी का आभ्यावेदन।
 - (ii) एनसीएसटी पत्र दिनांक 30.04.2025 के साथ मामले में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 01/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



Copy to:-

NIC for uploading

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
 National Commission for Scheduled Tribes
 Government of India
 Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003